न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/401 जिला–नागौर

1. श्री उम्मेदराम पुत्र श्री नाथूराम
2. श्री भूराराम पुत्र श्री नाथूराम
3. श्री सुगनाराम पुत्र श्री नाथूराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गेलोली तहसील जायल, जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।
2. हल्का पटवारी गेलोजी तहसील जायल जिला नागौर।
3. श्री नाथूराम पुत्र गोमाराम जाति जाट
4. श्री नैनाराम पुत्र श्री गोमाराम जाति जाट
5. श्री हरीराम पुत्र श्री भुगानराम जाति जाट
6. श्री रामकैलाश पुत्र श्री भैराराम जाति जाट
7. श्रीमती बाउदेवी पत्नी श्री भगवानाराम जात जाट
8. श्री हनुमानराम पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट
9. श्री रामविलास पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट
10. श्री मोहनराम पुत्र श्री पूनाराम जाति जाट
11. श्री हनुमानराम पुत्र श्री कानाराम जाति जाट
12. श्री भूराराम पुत्र श्री केहराराम जाति जाट
13. श्री रूपाराम पुत्र श्री केहराराम जाति जाट
14. श्री अन्नाराम पुत्र श्री कानाराम जाति जाट
15. श्रीमती माडूदेवी पत्नी श्री हेमाराम जात गुर्जर
16. श्री जगदीशराम पुत्र श्री हेमाराम जाति गुर्जर
17. श्री कूनाराम पुत्र श्री हेमाराम जाति गर्जर
    समस्त निवासीगण गेलोली तहसील जायल जिला नागौर।
18. श्री श्रवणराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट
19. श्री रामदेव पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट
    समस्त निवासी सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, जायल दिनांक 18–11–2021
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 16/2021बउनवान सरकार बनाम उम्मेदराम वगैरह

उपस्थित– 1. श्री उमेश कुमार अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–2
3. श्री भींयाराम चौधरी, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 3 से 19

निर्णय

दिनांकः– 17–10–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, जायल प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जायल के समक्ष नक्शा ट्रेस में चालू रास्ते का अंकन हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 के तहत ग्राम गेलोली पटवार मण्डल गेलोली तहसील जायल में स्थित खसरा नम्बर 262, 263, 265, 926/265, 276, 275, 274/1, 274/3, 708/274, 274/2, 274, 836/252, 249, 247/668,921/247, 246, 245, 266, 270, 271, 273 में से मोके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व रेकार्ड व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश दिनांक 18–11–2021 पारित कर अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 262, 263 में से अवैधानिक रूप से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल के द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को पूर्व में नहीं हो सकी। उक्त आदेश दिनांक 18–11–2021 की जानकारी दिनांक 23–9–2022 को हुई जब राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर आये और प्रार्थीगण को विवादित आराजियात से बेदेखल करने की धमकी दी तत्पश्चात उक्त आदेश की जानकारी हुई तभी प्रार्थी ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उन्होंने उक्त आदेश के बारे में अवगत कराया कि विवादित आराजियात में से रास्ता मुर्तिब किया गया है जबकि अपीलार्थीगण को

इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। अपीलार्थीगण द्वारा जानकारी दिनांक से अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नोन स्पीकिंग आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने से पूर्व राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 के अनुसार अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई जबकि उक्त प्रपत्र के अनुसार अपीलार्थीगण को सूचना दिया जाना आवश्यक था फिर भी अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिये एवं परिपत्र के प्रावधानों को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुने बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया है जिससे अपीलार्थीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 262 व 263 अपीलार्थीगण का है जिसमें से रास्ता निकाला गया है वह अपीलार्थीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 262 व 263 में पूर्व में कोई रास्ता नहीं रहा है एव ंना ही वर्तमान में भी कोई रास्ता मौजूद है। फिर भी मोके की वस्तुस्थिति को

नजर अन्दाज कर रास्ता मुर्तिब करने के आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी , जायल ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी के प्रार्थना पत्र एवं एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के अधार पर प्रस्तुत किया गया था जबकि पटवारी ने बिना किसी आदेश के अपीलार्थीगण से आपसी रंजिश रखते हुए वर्तमान सरपंच के प्रभाव में आकर एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुत की थी। जबकि नियमों में प्रावधान है कि मौका रिपोर्ट अपीलार्थीगण/संबंधित खातेदारों की उपस्थिति में तैयार होनी चाहिए जो कि पटवारी हल्का द्वारा तैयार नहीं कर कार्यालय में बैठकर तैयार की गई थी। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 19 के अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसीलदार जायल द्वारा पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर कदीमी रास्ते के रूप में बिना किसी अवरोध के आवागमन हेतु चालू रहता है। उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु अधिकतम खातेदारों द्वारा सहमति जाहिर की है। राज्य सरकार राजस्व ग्रुप विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 की मंशा अनुरूप उक्त रास्ता स्थायी सार्वजनिक रास्ता है तथा बारहमासी है तथा मौसम/ऋतु के अनुसार बदलता नहीं है तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। उक्त परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में कदीमी रास्ता होने से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है। उक्त चालू स्थायी सार्वजनिक कदीमी रास्ता यदि कटाण घोषित किया जाता है तो भी संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा जिससे संबंधत असहमत खातेदार का हक भी प्रभावित नहीं होगा। उक्त प्रस्तावित रास्ता आमजन के आवागमन हेतु सुगम जनसुविधा मात्र है। तहसीलदार, जायल की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 तहसीलदार जायल के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित आदेश चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख व नक्शे ट्रेस में अंकन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ही किया हैं जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 262, 263, 265, 926/265, 276, 275, 274/1, 274/3, 708/274, 274/2, 274, 836/252, 249, 247/668, 921/247, 246, 245, 266, 270, 271, 273 में से जनहित व लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए गैर मुमकिन रस्ता घोषित किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शे अनुसार राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा न्यायहित में सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, जायल द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जायल के समक्ष चालू रास्ते का रेकार्ड में अंकन हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 के तहत ग्राम गेलोली पटवार मण्डल गेलोली तहसील जायल के खसरा नम्बर 262, 263, 265, 926/265, 276, 275, 274/1, 274/3, 708/274, 274/2, 274, 836/252, 249, 247/668, 921/247, 246, 245, 266, 270, 271, 273 में मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शे में मौका पर्चा अनुसार नक्शे में चालू रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जबकि तहसीलदार जायल को विवादित आराजियात से संबंधित खातेदारों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, जायल को भिजवाना चाहिए था। पटवारी हल्का गेलोली व भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 2–2–2021 में विवादित आराजियात से संबंधित किसी भी खातेदारों के हस्ताक्षर नहीं है जबकि मौके पर जाकर ग्रामवासियों की उपस्थिति में एवं निजी खातेदार जिसकी भूमि रास्ते के रूप में ली जा रही है, के भी हस्ताक्षर कराये जाने चाहिए थे।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 262, 263 अपीलार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर अपीलार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से नजरी नक्शेनुसार रास्ता दर्ज करने का एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जबकि निजी खातेदारी की आराजियात में से गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने से पूर्व मौके की स्थिति की जानकारी एवं पड़ौसी खातेदारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थीगण की विवादित आराजियात खसरा नम्बर 262, 263 में से रास्ता दिये जाने का उल्लेख किया है जिसकी मोके की जांच किया जाना आवश्यक है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 02–02–2021 में न तो किसी खातेदार के हस्ताक्षर है एवं ना ही अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर कराये है और न ही विवादित आराजियात से संबंधित भूमि के खातेदारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। इससे स्पष्ट है

कि मौका रिपोर्ट पटवार घर पर बैठकर ही तैयार की जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने से पूर्व राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 के अनुसार अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई जबकि उक्त प्रपत्र के अनुसार अपीलार्थीगण जिसकी निजी खातेदारी की आराजियात में से रास्ता दर्ज किया गया है, को सूचना दिया जाकर सुना जाना आवश्यक था। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 262, 263 में से रास्ता दर्ज करने बाबत कोई सहमति/रजामंदी नहीं दी गई थी केवल तहसीलदार जायल की अनुशंषा के आधार पर ही अपीलार्थीगण की निजी खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 262, 263 में से राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2021 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–11–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 16/2021 बउनवान सरकार बनाम उम्मेदाराम व अन्य त्रूटिपूर्ण होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, जायल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात खसरा नम्बर 262 व 263 की तहसीलदार, जायल से ग्रामवासियों एवं अपीलार्थीगण की उपस्थिति में तैयार कराई गई मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थीगण को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 17–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर